

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, (संशोधन) 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, मधुबनी के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से 02 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रू० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से कुल राशि रू० 1,00,000/- (एक लाख रुपए) एवं 01 श्रमिक के दुर्घटना मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को रू० 2,00,000/- (दो लाख रुपए) प्रति कामगार की दर से रू० 2,00,000/- (दो लाख रुपए) अर्थात् कुल राशि रू० 3,00,000/- (तीन लाख रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव के आलोक में मृतक कामगार के आश्रित को पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश ज्ञापांक सं०-1370 दिनांक-25.10.2025 के क्रम संख्या-05, 54 एवं 82 में वर्णित खाता संख्या में राशि अंतरित किया गया था, परन्तु क्रम संख्या-05, 54 एवं 82 पर अंकित लाभार्थी का IFSC WRONG रहने के कारण राशि का अंतरण नहीं हो सका।

अतः पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक-1370 दिनांक-25.10.2025 के क्रम संख्या-05, 54 एवं 82 को रद्द किया जाता है।

श्रम अधीक्षक, मधुबनी के त्रुटि निराकरण परिमार्जन पत्रांक-1095 दिनांक-16.06.2026 तथा लेखापाल के प्रतिवेदन के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति हेतु आदेश दिया जाता है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार/ आधार सं०	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता/मो०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं आई.एफ.एस. सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० हेमन्त कुमार साह, 40, राम नारायण साह, अत्यंत पि० वर्ग	बबिता कुमारी, (पत्नी) 640736573 751	645 13.06.2025 / 1095 16.06.2026	ग्रा०-कसियौना, पो०+था०+प्र०- राजनगर, जिला-मधुबनी 6205788657	1008761030 035379	UBGB PUNB0 MBGB0 6	रू० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक का कार्य
2	स्व० संजय कुमार राउत, 37, रामबृक्ष राउत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अम्बिका देवी, (पत्नी) 2275 4260 8387	781 12.07.2025 / 1095 16.06.2026	ग्राम+पो०+पं०- खौना, वार्ड नं०-09, थाना+प्रखंड- बासोपट्टी, जिला-मधुबनी 9572837896	1003311030 092624	UBGB PUNB0 MBGB0 6	रू० 2,00,000/- (दो लाख रुपए)	दुर्घटना मृत्यु, बस चालक का कार्य
3	स्व० सोमन मंडल, 51, गेरू मंडल, अ० पि० वर्ग	चूनीया देवी, (पत्नी) 676977406 603	829 21.07.2025 / 1095 16.06.2026	ग्रा०+पो०- खुटौना, था०+प्र०- खुटौना, जिला-मधुबनी, 8178184063	1003841030 079397	UBGB PUNB0 MBGB0 6	रू० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक का कार्य

कुल राशि:-रू० 3,00,000/-
(तीन लाख रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक-1370 दिनांक-25.10.2025 के क्रम संख्या-05, 54 एवं 82 को रद्द करते हुए नया विमुक्ति आदेश निर्गत किया जाता है।

ह०/-
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक



ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-55/2025-1123

पटना, दिनांक :- 21/08/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 3,00,000/- (तीन लाख रूपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, मधुबनी/उप श्रमायुक्त, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

20/08/2026
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bhauli
(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक